न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 147/2025

जीसीएमएस नम्बर : 2025/242

प्रार्थीगणः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
मुकेश कुमार पुत्र उदयराम जाति वैष्णव निवासी सत्यनारायण मन्दिर के पास खौड़, तहसील रानी जिला पाली		1. ओमप्रकाश पुत्र शंकरलाल जाति वैष्णव निवासी खौड़ तहसील रानी जिला पाली हाल निवासी वरी दुर्गादास नगर पाली तहसील व जिला पाली 2. ग्राम सेवक/सरपंच जरिये ग्राम पंचायत खौड़ पंचायत समिति व तहसील रानी जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नन्द किशोर बंसल।

–: निर्णय :–

दिनांक : 30/03/2026

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत खौड़ द्वारा मिसल संख्या 36/1964 दिनांक 13.12.1964 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 172 दिनांक 31.12.1964 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम खौड़ में प्रार्थी मुकेश व उसके भाई की पट्टा सुदा भूमि आई हुई है, जिसके पट्टा संख्या 4291 तथा 217 है। ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा सुदा भूमि एवं ग्राम की सार्वजनिक भूमि को शामिल करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। उक्त भूमि पर अप्रार्थी का कभी भी कब्जा नहीं रहा। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों की पालना नहीं की है और आबादी भूमि से भिन्न भूमि का जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर पंचायती राज नियमों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा वर्ष 1964 में जारी किया गया है और प्रार्थी जिस पट्टे सुदा भूमि का जिक्र कर रहे है वह पट्टा वर्ष 2002 एवं वर्ष 2009 में जारी किया गया है, तो ऐसी स्थिति में पूर्व में जारी पट्टा में वर्ष 2009 के पट्टे की भूमि कैसे शामिल हो सकती है। ग्राम पंचायत

अति. जिला कलेक्टर, पाली

ने सम्पूर्ण प्रक्रिया की पालना करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी ने विधिनुसार ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया उसके उपरान्त उक्त प्रार्थना पत्र पर तत्समय प्रचलित पंचायती राज नियमों की पुर्णतया पालना करते हुये विधिसम्मत तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। प्रार्थी ने बिना किसी विधिक अधिकार के, जैर निगरानी याचिका पेश की है, जो कि सारहीन होने से खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत खौड़ द्वारा मिसल संख्या 36/1964 दिनांक 13.12.1964 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 172 दिनांक 31.12.1964 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि जैर निगरानी पट्टा प्रार्थी की पट्टा सुदा भूमि और सार्वजनिक भूमि का शामिल करते हुये जारी किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने विपक्षी अधिवक्ता के उज्र का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी के कब्जे सुदा भूमि का ही जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इस तथ्य की पुष्टि हेतु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाते है कि जैर निगरानी पट्टा मिसल संख्या 36/1964 दिनांक 13.12.1964 की पालना में दिनांक 31.12.1964 को जारी किया गया है जबकि प्रार्थी मुकेश के पक्ष में पट्टा संख्या 4291 दिनांक 20.09.2002 तथा श्रवण के पक्ष में पट्टा संख्या 217 दिनांक 17.12.2009 को जारी किया गया है। इस प्रकार जैर निगरानी पट्टा प्रार्थी के पट्टे से लगभग 38 वर्ष पूर्व का है। अतः सामान्य परिस्थितियों में यह तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता कि वर्ष 1964 में जारी पट्टा, वर्ष 2002 में प्रदत्त पट्टा भूमि को सम्मिलित करते हुए निर्गत किया गया हो। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि पूर्व में उत्पन्न अधिकार को केवल इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि बाद में किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में भूमि का पट्टा जारी हुआ है, जब तक कि पूर्ववर्ती पट्टे में स्पष्ट विधिक त्रुटि, अनियमितता अभिलेखों से सिद्ध न हो। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई ठोस एवं विश्वसनीय दस्तावेज पेश नहीं किये, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वर्ष 1964 में जारी जैर निगरानी पट्टा वास्तव में उसकी पट्टा सुदा भूमि को सम्मिलित करता है। अतः प्रार्थी अपने दावे के समर्थन में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने में असफल रहा है। जहाँ तक सार्वजनिक भूमि को सम्मिलित किये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा कोई राजस्व अभिलेख या उससे सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये, जिससे यह सिद्ध हो सके कि विवादित भूमि सार्वजनिक श्रेणी में दर्ज थी। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों में भी ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं होता कि उक्त भूमि सार्वजनिक भूमि के रूप में दर्ज रही हो। इसी प्रकार प्रार्थी के पुर्वजों मगराज, नारायणदास, उदयराम, जेपाराम वल्द हरीदास के पक्ष में मिसल संख्या 13/21.08.1959 की पालना में जारी पट्टा संख्या 29 में पश्चिम दिशा में भी सोहनदास पुत्र हिम्मताराम के मकान का इन्द्राज किया हुआ है, अर्थात् अप्रार्थी के पूर्वजों का मकान, प्रार्थी के पूर्वजों की पश्चिम दिशा में स्थित है। जैर निगरानी पट्टे के पड़ौस का अवलोकन करने पर भी यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत पट्टे के पड़ौस में कहीं पर भी प्रार्थी का नाम अंकित नहीं है। यदि उक्त भूमि वास्तव में प्रार्थी की पट्टा सुदा भूमि से सम्बन्धित होती तो उसका स्पष्ट उल्लेख अपेक्षित था। प्रार्थी द्वारा वर्ष 1964 के पट्टे को निरस्त करवाने हेतु ऐसा कोई विधिसम्मत एवं अभिलेखीय आधार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि उक्त पट्टा निर्गत करते समय समक्ष प्राधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर कार्रवाही की गई हो।

अधिवक्ता प्रार्थीगण का दौराने बहस अन्य उज्र यह था कि जैर निगरानी पट्टे की मिसल ग्राम पंचायत में रेकर्ड उपलब्ध नहीं है, अतः ग्राम पंचायत ने पंचायत नियमों के अनुसार प्रश्नगत पट्टा जारी नहीं किया है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी अधिवक्ता के कथनों का खण्डन करते हुये निवदेन किया कि रिकार्ड के संधारण का कार्य अप्रार्थी द्वारा नहीं किया जाकर ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है इसलिये यदि वर्तमान में ग्राम पंचायत में रेकर्ड उपलब्ध नहीं है तो इसमें पट्टाधारक की कोई गलती है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रश्नगत पट्टे की प्रति का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि जैर निगरानी पट्टा वर्ष 1964 में जारी किया गया था, जिस पर तत्कालीन सपरंच, उप सरपंच, सचिव के हस्ताक्षर अंकित है तथा पट्टे की प्रति पर रसीद संख्या का अंकन है। इसके अतिरिक्त उक्त पट्टे की पुश्त पर भूमि का क्षेत्रफल एवं चारों दिशाओं के पड़ौस भी अंकित है, इसके अतिरिक्त प्रश्नगत पट्टा जिस प्रस्ताव संख्या 41(1) दिनांक 20.12.1964 एवं जिस दिनांक 31.12.1964 को जारी किया गया है उसका स्पष्ट अंकन बैठक कार्यवाही रजिस्टर में किया हुआ है जिसमें सम्पूर्ण कोरम की उपस्थिति है एवं उनके हस्ताक्षर रजिस्टर में दर्ज है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पट्टा एक औपचारिक पंचायत प्रस्ताव के आधार पर जारी किया गया था तथा पट्टे में वर्णित पड़ौस यह दर्शाता है कि भूमि की पहचान पूर्ण रूप से सुनिश्चित की गई थी तथा पट्टा किसी अनिश्चित या काल्पनिक भूमि पर जारी नहीं किया गया, जिससे प्रथमदृष्टया पट्टे की प्रमाणिकता सिद्ध होती है। प्रकरण में यह तथ्य स्थापित है कि ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संधारण, संरक्षण एवं अद्यतन रखना ग्राम पंचायत का वैधानिक दायित्व है, न कि पट्टाधारक का। पट्टाधारक का यह दायित्व नहीं है कि वह पंचायत के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखे। यदि वर्तमान समय में ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित मिसल की प्रविष्टि उपलब्ध नहीं है, तो मात्र इसी आधार पर पट्टे को अवैध या नियमविरूद्ध नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि यह सिद्ध न कर दिया जाए कि पट्टा प्रारम्भ से ही अवैध, कूटरचित या नियमों के उल्लंघन में जारी किया गया था। प्रार्थी पक्ष द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज, साक्ष्य अथवा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह प्रमाणित हो कि वर्ष 1964 में पट्टा पंचायत नियमों के विपरीत जारी किया गया था या पंचायत प्रस्ताव के बिना जारी हुआ था। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रश्नगत पट्टा लगभग 61 वर्ष पूर्व जारी किया गया था तथा इतने लम्बे अन्तराल के पश्चात् रिकॉर्ड (केवल मिसल) के अभाव को आधार बनाकर पट्टे को निरस्त करना न्यायिक दृष्टि से अनुचित एवं असंगत प्रतीत होता है, वो भी उस स्थिति में जब अधिवक्ता प्रार्थीगण का मुख्य उज्र प्रमाणित नहीं हुआ हो। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त AIR 1991 SC 2219 State of Punjab vs. Gurdev Singh के अनुसार "An administrative lapse or illegality committed by the authority cannot be a ground to penalise a citizen who has acted bona fide." उपरोक्त समस्त तथ्यों के विस्तृत परीक्षण से यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि प्रश्नगत पट्टा विधिपूर्वक पंचायत प्रस्ताव के आधार पर जारी किया गया था। वर्तमान में ग्राम पंचायत में अभिलेखों में उक्त पट्टे की मिसल उपलब्ध न होना मात्र एक प्रशासनिक कमी हो

अति. जिला कलेक्टर, पाली

सकती है, जिसका दायित्व पट्टाधारक पर नहीं डाला जा सकता। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा विधिसम्मत है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत खौड़ द्वारा मिसल संख्या 36/1964 दिनांक 13.12.1964 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 172 दिनांक 31.12.1964 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/03/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली